

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित "कुश्मी एन्क्लेव" आवासीय योजना

के अन्तर्गत 2 B.H.K., 3 B.H.K. एवं 3 B.H.K. + SERVANT ROOM फ्लैटों का ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक-21.11.2025

पंजीकरण समाप्ति दिनांक-20.12.2025

आवासीय फ्लैटों का विवरण:-

क्र० सं०	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	कवर्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि(रुपये में)		आवंटन शुल्क 25 प्रतिशत	आवंटन शुल्क 30 प्रतिशत	अवशेष धनराशि (रुपये में)	अवशेष धनराशि 25 वर्ष की 10 समान त्रैमासिक किस्तों में। (ब्याज रहित)
						सामान्य 10 प्रतिशत	आरक्षित 5 प्रतिशत	सामान्य	आरक्षित	65 प्रतिशत	
01	2 B.H.K.	71	62.54	80.00	54,10,000.00	5,41,000.00	2,70,500.00	13,52,500.00	16,23,000.00	35,16,500.00	3,51,650.00
02	3 B.H.K.	129	99.48	128.25	88,65,000.00	8,86,500.00	4,43,250.00	22,16,250.00	26,59,500.00	57,62,250.00	5,76,225.00
03	3 B.H.K. +SERVANT ROOM	62	118.87	145.22	1,00,40,000.00	10,04,000.00	5,02,000.00	25,10,000.00	30,12,000.00	65,26,000.00	6,52,600.00

पंजीकरण हेतु क्या करें:-

- 1- पंजीकरण विवरण पुस्तिका रु०-500.00 (जी०एस०टी० सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2- निर्धारित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।
- 3- विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

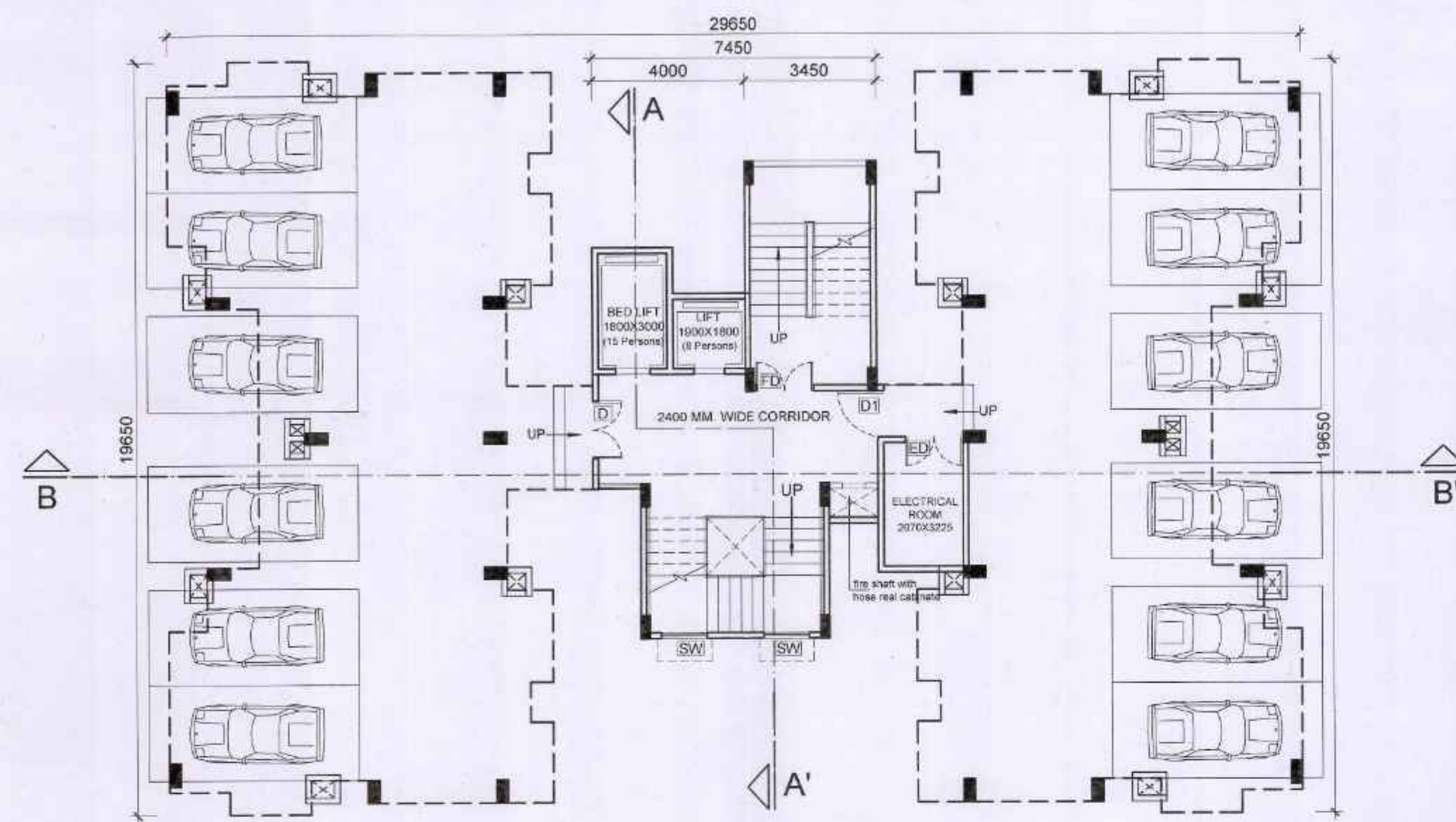
सम्पर्क करें:- फोन नं० 0551-2230132,

टोल फ्री नं०-18001202248

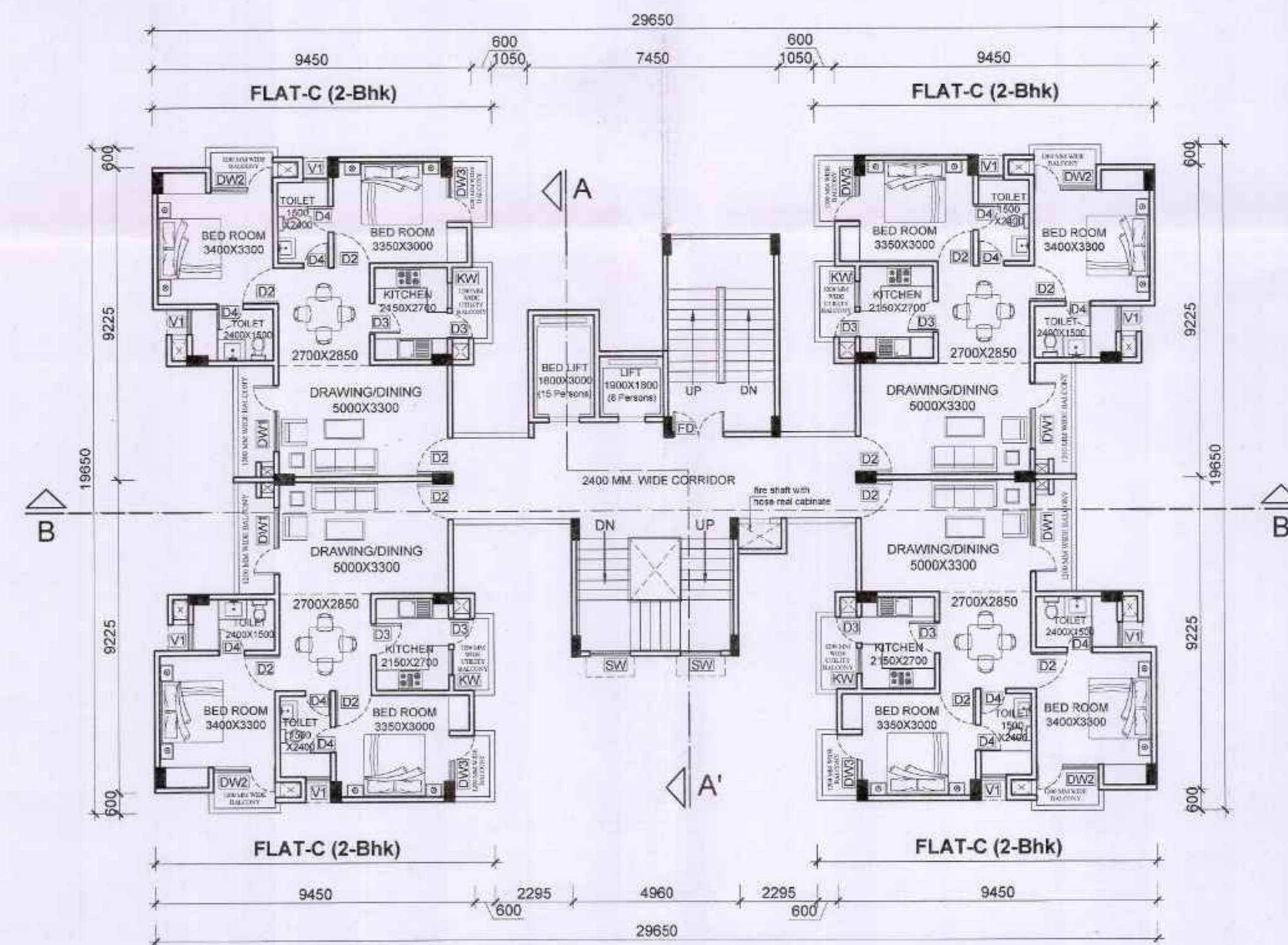
सचिव

उपाध्यक्ष

TOWER -A

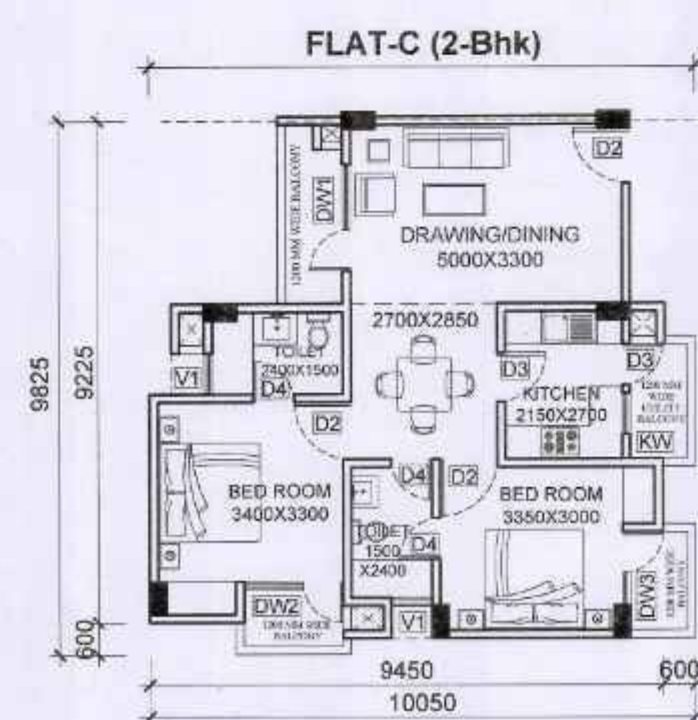


TOWER -A
STILT FLOOR PLAN



TOWER -A
SECOND TO ELEVENTH TYPICAL FLOOR PLAN (2nd to 11th)

FLAT-C (2-Bhk)



2-BHK FLAT-C

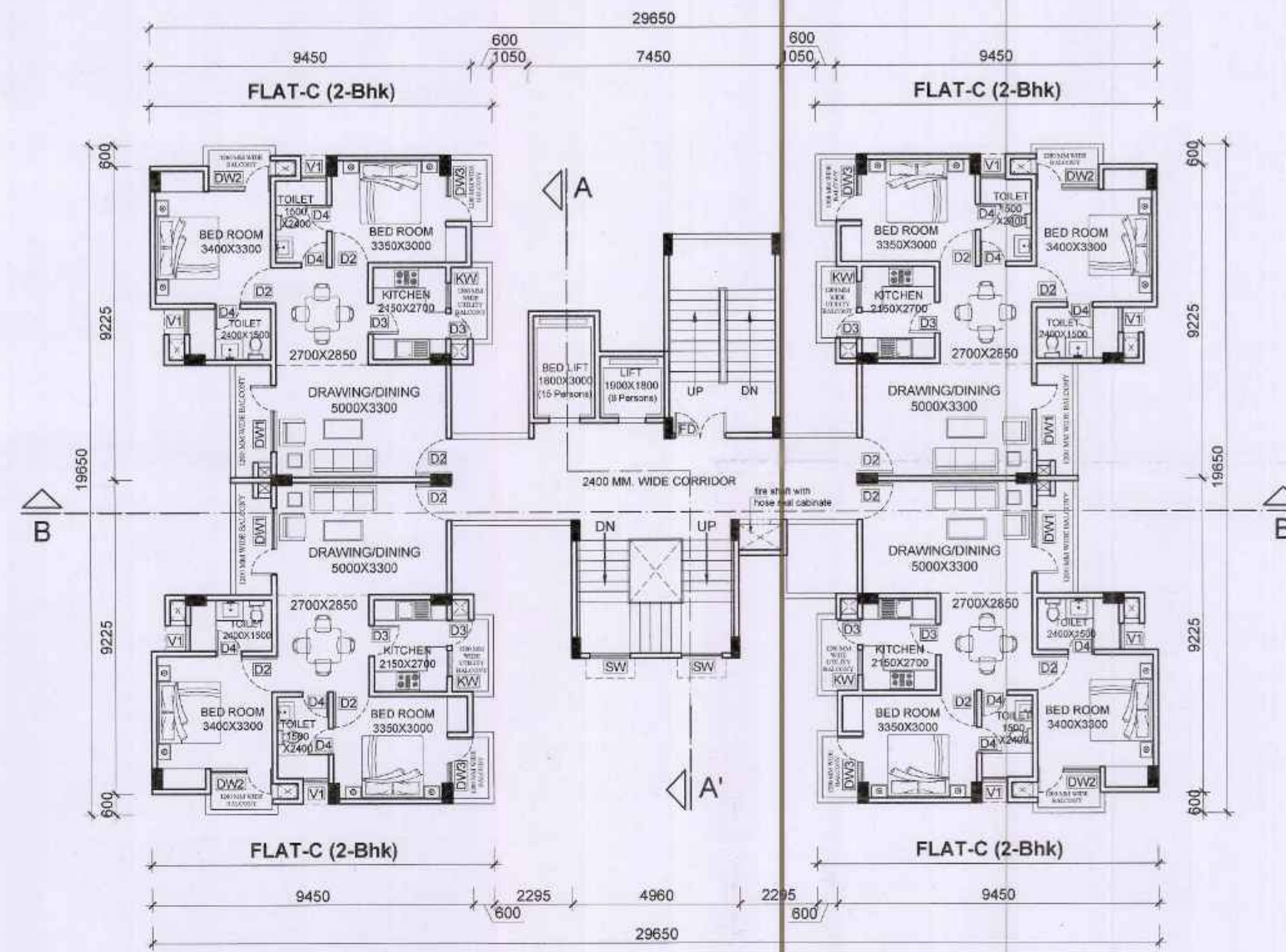
COVERED (BUILT-UP) AREA
= 68.32 SQ.MT.

CARPET AREA = 62.54 SQ.MT.

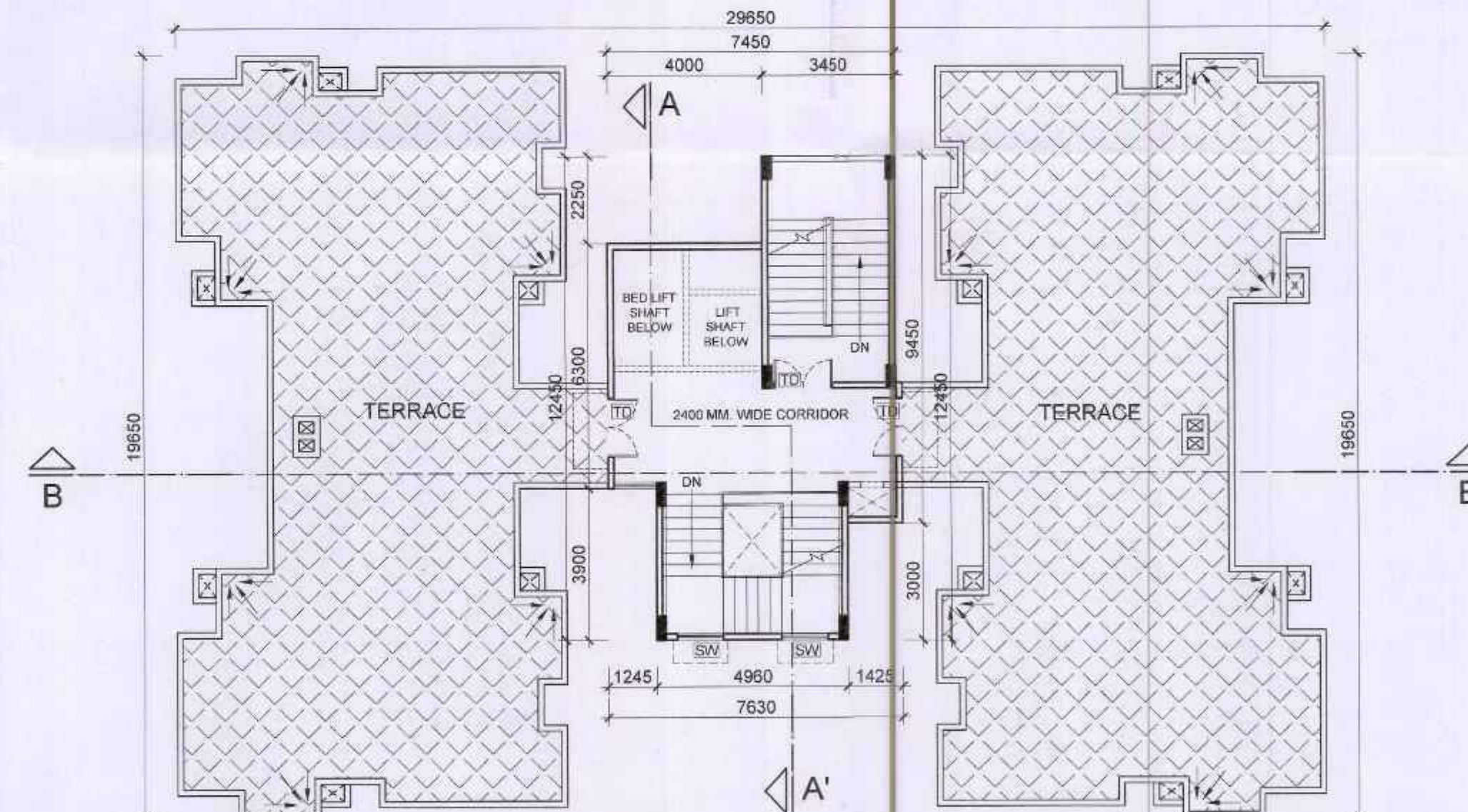
BALCONY AREA = 11.68 SQ.MT.

TOTAL AREA WITH BALCONY = 80.00 SQ.MT.

SUPER BUILT-UP AREA
= 104.87 SQ.MT.



TOWER -A
FIRST FLOOR PLAN



TOWER -A
TERRACE FLOOR PLAN

DOOR & WINDOW SCHEDULE OF TOWER -A

S.NO.	TYPE	OVERALL	DOOR		WINDOW		REMARK
			WIDTH	DEPTH	SILL LVL.	LINTEL LVL.	
1	FD	1500X2400	1500	---	---	+2400	STAIRCASE (FIRE DOOR)
2	ED	1500X2400	1500	---	---	+2400	ELECTRICAL ROOM
3	TD	1500X2100	1500	---	---	+2100	MUMTY & MACHINE ROOM
4	D	1500X2100	1500	---	---	+2100	STILT LOBBY
5	D1	1200X2100	1200	---	---	+2100	STILT LOBBY
6	D2	1050X2400	1050	---	---	+2400	DRAWING, BED ROOM
7	D3	750X2100	750	---	---	+2100	KITCHEN
8	D4	750X2100	750	---	---	+2100	TOILET
9	DW1	1950X2400	750	1200	200	+2400	DRAWING ROOM
10	DW2	1750X2400	750	1000	200	+2400	BED ROOM
11	DW3	1350X2400	750	600	200	+2400	BED ROOM
12	SW	1200X1650	---	1200	750	+2400	STAIRCASE
13	KW	750X1350	---	750	1050	+2400	KITCHEN
14	V1	750X900	---	750	1500	+2400	TOILET

PROPOSED GROUP HOUSING AT LACCHIPUR GORAKHNATH ,GORAKHPUR FOR GORAKHPUR DEVELOPEMENT AUTHORITY

THIS DRAWING AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT BE DISCLOSED, REPRODUCED OR USED FOR ANY PURPOSE BY ANY PERSON WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF M/S MURALAGE. THIS DRAWING IS PROTECTED UNDER COPYRIGHT LAW AND ANY COPYING OR REPRODUCTION HEREOF IS PROHIBITED. UNAUTHORISED PERSONS FOUND COPYING THIS DRAWING OR ANY PART OF THIS DOCUMENT OR USING THE SAME FOR ANY PURPOSE SHALL BE SUBJECT TO LEGAL ACTION.

STILT FLOOR AREA= 414.86 Sq.mt.

STILT/GROUND COVERED AREA
=81.54 Sq.mt.

1st FLOOR AREA = 328.56 Sq.mt.
2nd to 11th TYPICAL FLOOR AREA
(328.56X10) = 3285.60 Sq.mt.

TERRACE FLOOR AREA = 75.81 Sq.mt.

Total no. of Flats in First floor
= 04 Nos.

Total no. of Flats in 1 Block 1st to 11th floor
11x4X = 44 Nos.

Total no. of Flats in 2 Block 1st to 11th floor
44x2 = 88 Nos.

SUPER BUILT UP AREA=104.87 Sq.mt.
BUILT UP AREA =80.00 Sq.mt.
CARPET AREA =62.54 Sq.mt.
BALCONY AREA =11.68 Sq.mt.

PROJECT TITLE:

GORAKHPUR
DEVELOPEMENT AUTHORITY
GORAKHPUR,UTTAR PRADESH

Arjan Surveyor	Tehsildar(arjan)	Draughtsman
Assist.Eng.	I/C Planning	Ex.Engineer
Superintending Eng.	Secretary	Vice Chairman

4th Nov. 12/4/2024 08:00 to 10:00/10/2024-25.
12/01/25-02-2025

PROPOSAL DRAWING

(TOWER-A): 2 BLOCK

FLOOR PLANS



REFERENCE NO-	G-152
SHEET NO.:	AR-TW(A)-01
SCALE:	1:100
DATE:	JAN. 2025
Drawn By:	Ar. Sarita Yadav
REV:	R2

architects
m u r a l a g e
architecture, master planning, interior design
conservation, landscaping, project management
A-3/269, vibhav khand, gomti nagar, lucknow
phone no.: 2980139, 2320715

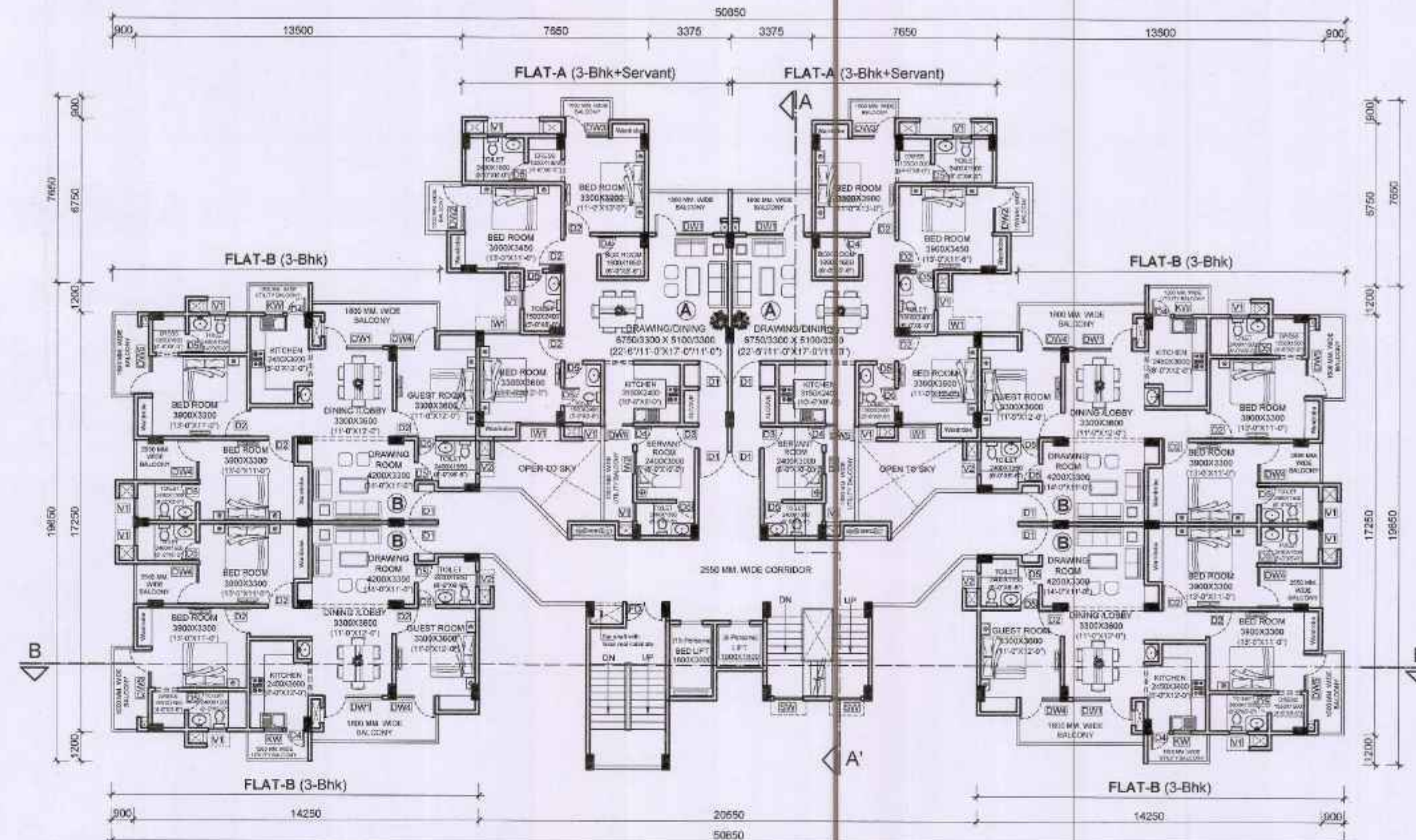
This detailed architectural floor plan shows a building layout with a central 3500 mm wide corridor. The plan includes various rooms and spaces, such as:

- SHOP 3450x6000** and **SHOP 3450x4200** at the top.
- ELECTRICAL ROOM 700x4700** in the center.
- OPEN TO SKY** areas on the left and right sides.
- 3500 MM WIDE CORRIDOR** running horizontally through the center.
- STAIRS** and **LOBBY** areas at the bottom.
- DRIVEWAY** areas on the left and right sides.
- PARKING SPACE** areas at the bottom left and bottom right.

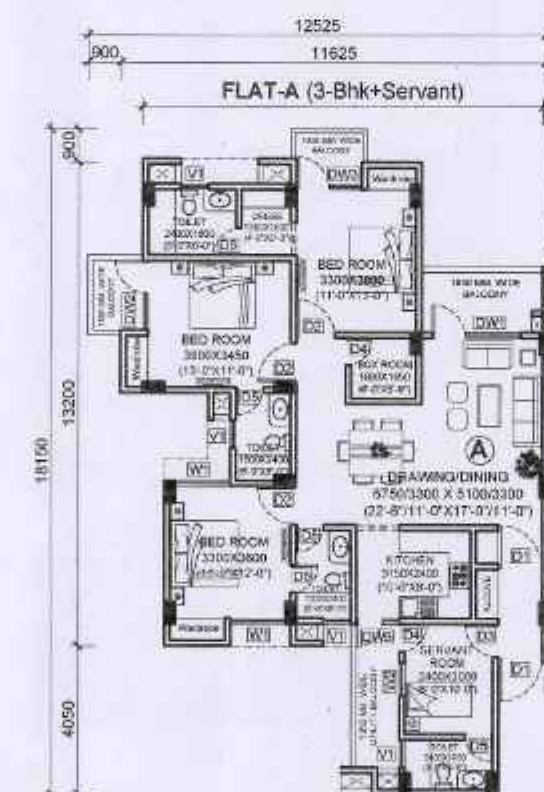
The plan also features dimensions for various sections, including 3000, 7350, 3000, 1000, 2250, 11800, 12350, and 275. Section lines A-A' and B-B' are indicated. The plan is surrounded by parking spaces with car symbols and drive aisles.

Architectural floor plan of the ground floor of a building. The plan shows a central core with a staircase and elevator, surrounded by three large terraces. The central core includes a 'WALKWAY & MACHINE ROOM' and a 'RELEVANT' area. The terraces are labeled 'TERRACE' and have dimensions of 11000 and 11500. The plan also shows various rooms, including a 'KITCHEN' and a 'DINING ROOM'. The overall dimensions of the building are 11000 by 11500. The plan is oriented with North (N) at the top.

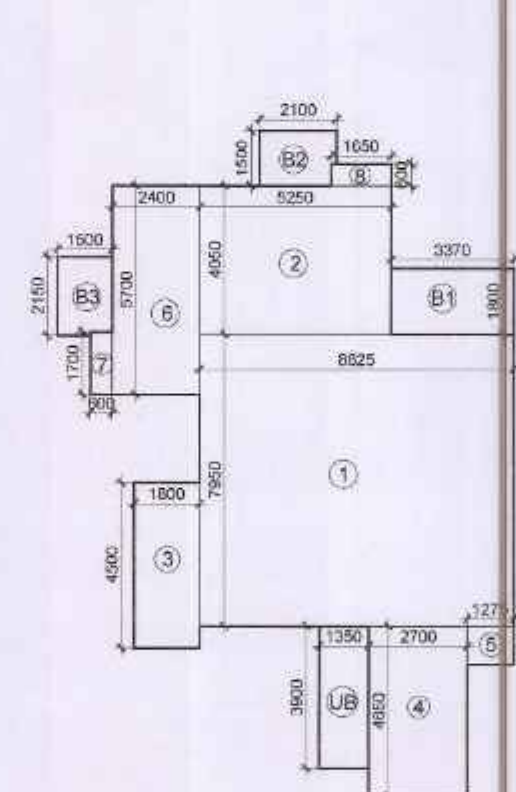
DOOR & WINDOW SCHEDULE OF TOWER -B							REMARK	D O O R F R A M E
S.NO.	TYPE	OVERALL	WIDTH	WIDTH	SILL LVL.	LINTEL LVL.		
1	FD	1500X2400	1500	---	---	+2400	STAIRCASE (FIRE DOOR)	D O O R F R A M E HOLLOW METAL STEEL SECTION
2	ED	1500X2400	1500	---	---	+2400	ELECTRIC ROOM	
3	TD	1500X2100	1500	---	---	+2100	MUMTY & MACHINE ROOM	
4	D	1500X2100	1500	---	---	+2100	STILT LOBBY	
5	D1	1200X2400	1200	---	---	+2400	DRAWING ROOM	
6	D2	1050X2400	1050	---	---	+2400	BED ROOM & GUEST ROOM	
7	D3	900X2400	900	---	---	+2400	SERVANT ROOM	
8	D4	750X2100	750	---	---	+2100	KITCHEN, SERVANT & BOX ROOM	
9	D5	750X2100	750	---	---	+2100	TOILET	
10	DW1	2400X2400	900	1500	200	+2400	DRAWING / DINING	
11	DW2	1900X2400	900	1000	200	+2400	BED ROOM	UPVC WINDOWS
12	DW3	1800X2400	900	900	200	+2400	BED ROOM	
13	DW4	1650X2400	900	750	200	+2400	GUEST ROOM	
14	DW5	1550X2400	900	650	200	+2400	BED ROOM	
15	DW6	1200X2400	750	450	200	+2400	KITCHEN	
16	SW	1200X1650	---	1200	750	+2400	STAIRCASE	
17	W1	1500X2200	---	1500	200	+2400	BED ROOM	
18	W2	900X2200	---	900	200	+2400	SERVANT	
19	KW	750X1350	---	750	1050	+2400	KITCHEN	
20	V1	750X900	---	750	1500	+2400	TOILET	
21	V2	600X900	---	600	1500	+2400	TOILET	



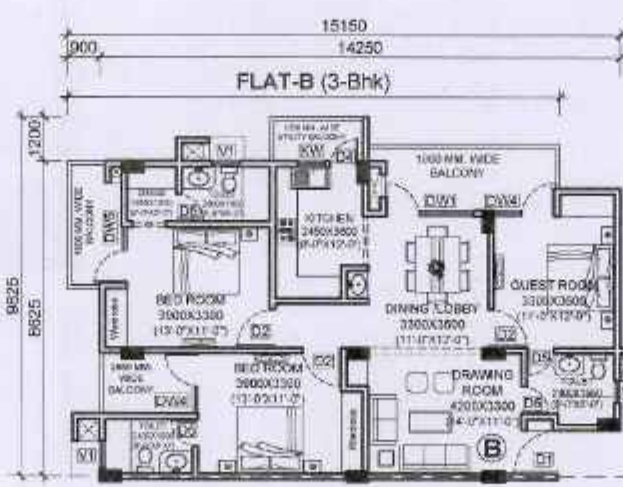
FLAT-A (3-Bhk + Servant)



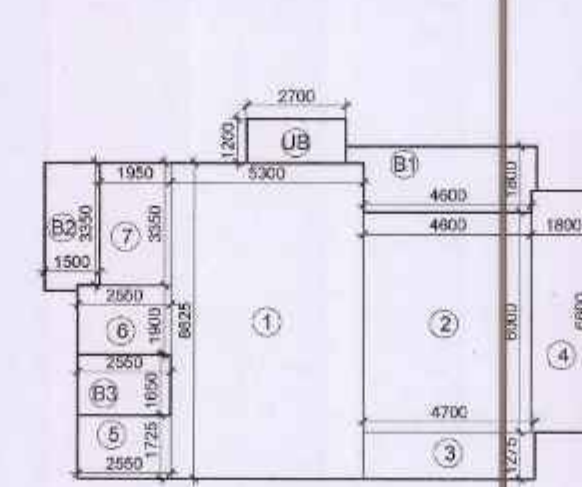
Total no. of Flats in First floor = 02 Nos.
Total no. of Flats in 1st to 11th floor = $11 \times 2 = 22$ Nos.



FLAT-B (3-Bhk)



Total no. of Flats in First floor = 06 Nos.
Total no. of Flats in 1st to 11th floor = $11 \times 6 = 66$ Nos.



UNIT AREA (TOWER-B)						
FLAT - A (3-BHK Servant)						
\$,NO.	DESCRIPTION	LENGTH (m.)	WIDTH (in mt.)	Area (in Sq.mt.)	QUANTITY	TOTAL AREA (in Sq.mt.)
1.0	1	4.625	7.750	88.57	1	88.57
2.0	2	5.250	4.050	21.28	1	21.28
3.0	3	1.800	4.500	8.10	1	8.10
4.0	4	2.700	4.650	12.58	1	12.58
5.0	5	1.278	1.560	1.34	1	1.34
6.0	6	2.450	3.700	9.08	1	9.08
7.0	7	4.600	1.700	1.02	1	1.02
8.0	8	1.650	0.900	0.99	1	0.99
TOTAL AREA						127.52
BALCONY AREA						
1.0	B1	3.370	1.900	6.07	1	6.07
2.0	B2	2.100	1.500	3.15	1	3.15
3.0	B3	1.500	2.150	3.23	1	3.23
4.0	B4	1.350	3.900	5.27	1	5.27
TOTAL AREA						17.71
TOTAL COVERED AREA OF FLAT - A						145.22

UNIT AREA (TOWER -B)						
FLAT - B (3-BHK)						
S.NO.	DESCRIPTION	LENGTH (in mt)	WIDTH (in mt)	AREA (in Sq.mt)	QUANTITY	TOTAL AREA (in Sq.mt)
1.0	1	5.300	8.625	45.71	1	45.71
2.0	2	4.600	6.000	27.60	1	27.60
3.0	3	4.700	1.275	5.99	1	5.99
4.0	4	4.630	6.600	11.88	1	11.88
5.0	5	2.550	1.725	4.40	1	4.40
6.0	6	2.550	1.900	4.85	1	4.85
7.0	7	1.650	3.350	6.53	1	6.53
TOTAL AREA						106.96
BALCONY AREA						
1.0	B1	4.600	1.800	8.92	1	8.92
2.0	B2	1.500	3.350	5.03	1	5.03
3.0	B3	2.550	1.650	4.21	1	4.21
4.0	B4	2.700	1.250	3.24	1	3.24
TOTAL AREA						21.26
TOTAL COVERED AREA OF FLAT - B						128.25

 Arjan Survekar	 Tehsildar (Arjan)	 Draughtsman
 Assist. Eng.	 I/C Planning	 Ex. Engineer
 Superintending Eng.	 Secretary	 Vice Chairman

मिन. : 12 वा. 15 म. / 15 म. 15 म. / 20.24 - 25,
 15.04 - 25.02 - 20.25

(TOWER-B) 3 block



ORIENTATION

REFERENCE NO-	G-152
SHEET NO. :	AR-TW(B)-01
SCALE :	1:200
DATE :	Nov. 2024
Drawn By:	Ar. Sarita Yadav

			
architects			ARCHITECT
m u r a l a g e architecture , master planning , interior design conservation , landscaping , project management A-3/269 , vihavah khand , gomti nagar , lucknow phone no. : 2980139, 2320715			

आवासीय सम्पत्तियों के आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन हेतु पात्रता:

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक अथवा उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति पत्नी तथा अव्यस्क बच्चे से है) के पास प्रश्नगत प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि विकसित कालोनियों में कोई अपना आवासीय सम्पत्ति नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में से एक से अधिक आवासीय सम्पत्ति नहीं होना चाहिए। यदि बाद में उसे किसी अन्य सम्पत्ति का आवंटन हो जाना पाया जाता है तो यह पंजीकरण/आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. प्लैट के आवंटन हेतु केवल पति/पत्नी ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी का संयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

2. भुगतान व आवंटन की प्रक्रिया

1. सम्पत्तियों का आवंटन निर्धारित पंजीकरण अवधि में पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई-लाटरी के माध्यम से की जायेगी।
2. आवासीय सम्पत्तियों के फ्रीहोल्ड के लिए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क विक्रय विलेख से पूर्व जमा करना होगा।
3. किसी भी करों की देयता आवंटी को वहन करना है।
4. वांछित धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर प्रदेशन पत्र के अनुसार देय धनराशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
5. आवासीय सम्पत्तियों का भुगतान ऑन लाइन आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार करना होगा।
6. अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को भी आवंटियों द्वारा एक मुश्त नियमानुसार देना होगा।
7. नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगा।
8. पंजीकरण धनराशि आन लाईन ही जमा किया जाना होगा।
9. सम्पत्ति कार्नर होने की दशा में 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क देय होगा।

3. आरक्षण:

उत्तर प्रदेश गजट, 16 जुलाई 2016 ई0 (आषाढ़ 25, 1938 शक संवत्) (भाग-8) कार्यालय, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ 16 जून 2016 ई0 सं0-574/UPGDB/CS-1 सामा0/2016-उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा-95 की उप धारा (1) के खण्ड-3 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, 1966) के अधीन, अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अपनी योजनाओं में अनावासीय सम्पत्ति यथा निर्मित व्यवसायिक भवन/दुकान निर्मित/विकसित व्यवसायिक भूखण्ड एवं व्यवसायिक हाल आदि को निस्तारण करने के सम्बन्ध में एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियम-1980 (संशोधित फरवरी 1993, पुनः संशोधित मार्च 2016) कहलायेंगे, के भाग-2 के बिन्दु-6 सम्पत्ति में आरक्षण-(अ) व्यवसायिक भूखण्ड, दुकान एवं व्यवसायिक हाल (लीज की सम्पत्तियों एवं आवासीय भवन/भूखण्डों को छोड़कर जिनका निस्तारण नीलामी द्वारा किया जायेगा) में अनुसूचित जाति के आवेदकों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को 2 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 27 प्रतिशत अर्थात् कुल 50 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित वर्गों के आवेदकों में से वे जिस आरक्षण वर्ग के लिए हैं, में निम्नवत हारिजॉन्टल आरक्षण प्रदान किया जायेगा :-

1- माओ विधायक/सांसद/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	5 प्रतिशत
2- सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	5 प्रतिशत
3- उOप्रO आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारी	2 प्रतिशत
4- भूतपूर्व एवं वर्तमान सैनिक व उनके आश्रित	3 प्रतिशत
5- समाज के विकलांग व्यक्ति	3 प्रतिशत
6- वृद्धजन (वरिष्ठ नागरिक)	10 प्रतिशत

4. आवंटन, कब्जा एवं निर्माण कार्य:

1. प्लेटों का आवंटन सभी तलों को सम्मिलित करते हुए लाटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा जिसमें केवल पंजीकृत व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे।
2. आवंटित प्लेट में किसी भी तरह का निर्माण या तोड़-फोड़ बिना प्राधिकरण के अनुमति के नहीं की जायेगी।
3. आवासीय सम्पत्ति का कब्जा नियमानुसार (पंजीकरण धनराशि, आवंटन धनराशि, फ्री होल्ड शुल्क एवं अन्य देय शुल्कों को नियमानुसार जमा करने के पश्चात) प्लेट निर्माण के पश्चात पंजीकरण अनुबंध/विक्रय विलेख में देय स्टैम्प पेपर प्रस्तुत कर निबन्धन/विक्रय विलेख कराने एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त दिया जायेगा। निबन्धन/विक्रय विलेख में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
4. सम्पत्ति का कब्जा निर्धारित तिथि तक न प्राप्त करने पर नियमानुसार सुपरविजन चार्ज देय होगा।

5. जमा धनराशि की वापसी

1. जमा की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के खाते में जमा होने की तिथि से अनुगामी माह की पहली तारीख से पूर्व वापस नहीं की जायेगी, किसी पंजीकृत आवेदक से लाटरी में सफल न होने, निर्माण कार्य अथवा उसके स्थान में कोई परिवर्तन होने या, आवंटन हेतु आवेदक के अधिकृत होने की दशा में आवेदक अपनी जमा धनराशि एक वर्ष के अन्दर बिना ब्याज रू0-1,000.00 प्रशासनिक व्यय की कटौती के उपरान्त वापस ले सकता है।
2. सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् एक माह के अन्दर धनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत (पंजीकरण धनराशि पर) कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी, परन्तु जो आवंटी निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा नहीं करते हैं और न ही आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर वापसी हेतु को लिखित सूचना देते हैं अथवा किन्हीं कारणों से आवंटन निरस्त किया जाता है तो उन्हें पंजीकरण धनराशि से 20 प्रतिशत व सम्पत्ति मूल्य पर 13 प्रतिशत की दर से 2 माह के ब्याज की कटौती करते हुए उनका पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण/आवंटन कराने व धनराशि वापसी हेतु आवेदन आनलाईन ही किया जाना होगा।

6. तथ्यों का छिपाना:-

1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो आवंटन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकते हैं।

2 जमा की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के खाते में जमा होने की तिथि से अनुगामी माह की पहली तारीख से पूर्व वापस नहीं की जायेगी, किसी पंजीकृत आवेदक से लाटरी में सफल न होने, निर्माण कार्य में अथवा उसके स्थान में कोई परिवर्तन होने या, आवंटन हेतु आवेदक के अधिकृत न होने की दशा में आवेदक अपनी जमा धनराशि एक वर्ष के अन्दर बिना ब्याज रू0-1,000.00 प्रशासनिक व्यय की कटौती के उपरान्त वापस ले सकता है।

7. शुल्क/कर आदि की देयता:-

नगर निगम अथवा किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

8. अन्य सामान्य नियम व शर्त:-

1 आवंटन के पश्चात गोरखपुर विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्त/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा किये गये संशोधन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

2 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गोरखपुर होगा।

3 पंजीकरण, आवंटन, कब्जा दिये जाने अथवा निर्माण के समय यदि किसी भी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

4 गोरखपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकृत हर व्यक्ति को प्राधिकरण सम्पत्ति देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति नहीं मिल पाती है तो इसके लिए वह प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5 योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा यदि कोई धनराशि किसी भी समय बढ़ा दी जाती है, तो बढ़े हुए प्रतिकर की धनराशि आवंटी के सम्पत्ति के अनुपात में आवंटी द्वारा देय होगा।

6 सम्पत्ति का अनुमानित विक्रय मूल्य मटेरियल तथा लेबर की वर्तमान दरों पर आधारित है। मटेरियल तथा लेबर की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप यदि मूल्य बढ़ जाता है, तो बढ़ा हुआ मूल्य आवंटी द्वारा देय होगा, जो सभी प्रकार के विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात निकाला जायेगा। वास्तविक विक्रय मूल्य तथा अनुमानित विक्रय मूल्य के अन्तर की धनराशि विक्रय विलेख से पूर्व आवंटी द्वारा देय होगा।

7 यदि कोई आवंटी अपने सम्पत्ति का उपयोग निर्धारित भू-उपयोग के रूप में न करके किसी अन्य उपयोग में करता है तो उस आवंटी के आवंटन को निरस्त करते हुए उसके द्वारा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

8 शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को होगा।

9 पंजीकरण, आवंटन, कब्जा एवं विकास कार्य में विवाद अथवा अन्य किसी हानि क्षति देयक के भुगतान से सम्बन्धित विवाद का क्षेत्राधिकार गोरखपुर के स्थानीय न्यायालय में होगा। अन्य स्थान पर दायर कोई वाद विकास प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं होगा।

10 प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी भी यन्त्र जनरेटर, कटर मशीन आदि का परिसर में लगाया जाना भारत सरकार के अधिसूचना सं0-293 दिनांक 12 जुलाई 2004 द्वारा प्रतिबन्धित है।

11 उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम 2010 के अनुसार अपार्टमेंट का प्रारम्भिक अनुरक्षण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा एवं इसके पश्चात नियमानुसार अपार्टमेंट के आवंटियों के मध्य सोसायटी बनाकर अनुरक्षण कार्य सोसायटी को सौंप दिया जायेगा।

12 फ्लैटों को सार्वजनिक सुविधाओं यथा सीढ़ी,कामन पैसेज की विजली,जलापूर्ति आदि का रख रखाव निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित आवंटियों द्वारा रेजिडेंट बेलफेयर एसोसियेशन बनाकर उसके माध्यम से किया जायेगा।

9.पंजीकरण प्रक्रिया:-

1 पंजीकरण प्रपत्र रू०-500.00 प्राधिकरण निधि में आन लाइन जमा करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर **www.gdagkp.in** पर डाउनलोड कर सकते हैं।

2 शपथ पत्र तैयार कर आनलाइन पंजीकरण लोड किया जाना होगा।

10.आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश:-

1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र आन लाईन नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे आन लाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।

2 शासनादेश के अनुक्रम में सम्पत्ति का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की व्यवस्था है।

3 संयुक्त नाम (केवल पति व पत्नी) से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए। पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किये गये आवेदक एवं आवेदक के पति/पत्नी का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाना होगा।

4 आवेदन पत्र पर आवेदक एवं आवेदक के पति/पत्नी का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाना होगा।

5 आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क आन लाईन ही जमा किया जाना होगा।

6 विशेष जानकारी हेतु सहायक सम्पत्ति अधिकार/सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर।